संख्या-44/2019/1045 /52-1-2019-39(एम0एस0डी0पी0)/17

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2019

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 27.07.2017 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 131वीं बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद रामपुर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, हापुड., बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बदायूं एवं मेरठ में निर्मित 24 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1152/अ0सं0क0नि0/एम0एस0डी0पी0/बजट-आवंटन/2017-18 दिनांक 07.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की धनराशि पुन: चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि गत वित्तीय वर्ष के अन्त में शासनादेश दिनांक 17.01.2018 द्वारा अवमुक्त की गयी थी, जिसका उपभोग न हो पाने के कारण धनराशि समर्पित कर दी गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/255/2017-एम0एस0डी0 पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 01.09.2017 द्वारा विषयगत जनपदों में निर्मित 24 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 655.20 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **उपभोक्ता सहकारी संघ लि0** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 393.12 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 196.56 लाख (रूपये एक करोड. छियानबे लाख छप्पन हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 131.04 लाख (रूपये एक करोड. इकत्तीस लाख चार हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 327.60 लाख (रूपये तीन करोड सत्ताईस लाख साठ हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट रू0 6000.00 लाख तथा तथा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

http://chasanadesh.up.nic.in

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित **प्रथम किश्त**		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उपरोक्त जनपदों	रा0इण्टर कालेज/ रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर/ उपकरण	24	27.30	393.12	262.08	655.20	196.56	131.04	327.60
		योग	**24**		**393.12**	**262.08**	**655.20**	**196.56**	**131.04**	**327.60**

24 पूर्ण राजकीय इण्टर कालेजों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	**जनपद**	**परियोजना**	**पंचवर्षीय योजना**	**इम्पावर्ड कमेटी**	**निर्गत द्वितीय किश्त का शासनादेश**
1	रामपुर	रा0 इण्टर कालेज, रेवडीकला	11वीं	32वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-3819/52-1-2013-6(एम0एस0डी0पी0)/ 11,दि0 29.08.2013
2	सहारनपुर	रा0 इण्टर कालेज, कपूरी	11वीं	31वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1826/52-1-2014-3(6)/10, दिनांक 27.06.2014
3	सहारनपुर	रा0 इण्टर कालेज, तय्यबपुर टप्पालालू	11वीं	31वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1826/52-1-2014-3(6)/10, दिनांक 27.06.2014
4	सहारनपुर	रा0 इण्टर कालेज, कमेला रोड	11वीं	31वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1826/52-1-2014-3(6)/10, दिनांक 27.06.2014
5	सिद्धार्थनगर	तह0-इटवा,वि0ख0-इटवामें रा0 इण्टर कालेज	12वीं	59वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1566/52-1-2016-14(एम0एस0डी0पी0)/ 13, दिनांक 27.05.2016
6	शामली	रा0इण्टर कालेज वि0ख0-उमरपुर के ग्राम-करेतू में	12वीं	59वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2245/52-1-2016-22(एम0एस0डी0पी0)/ 13, दिनांक 17.08.2016
7	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज, शफीपुर	12वीं	59वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2443/52-1-2015-16 (एम0एस0डी0पी0)/ 13, दिनांक 05.11.2015
8	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज, गढी शेखावत	12वीं	59वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2443/52-1-2015-16(एम0एस0डी0पी0)/ 13, दिनांक 05.11.2015
9	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज, कमहेडा	12वीं	59वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2443/52-1-2015-16(एम0एस0डी0पी0)/ 13, दिनांक 05.11.2015
10	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज, ब्लाक-मोरना के ग्राम जौली में	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1964/52-1-2016-1(128)/13टी0सी0, दिनांक 14.07.2016
11	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज ब्लाक-पुरकाजी ग्राम पुरकाजी देहात	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1964/52-1-2016-1(128)/13टी0सी0, दिनांक 14.07.2016
12	मुजफ्फरनगर	रा0इण्टर कालेज ब्लाक बघारा के ग्राम बुधयानाखुर्द में	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1964/52-1-2016-1(128)/13टी0सी0, दिनांक 14.07.2016
13	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज ब्लाक बुढाना के ग्राम बिरल में	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1964/52-1-2016-1(128)/13टी0सी0, दिनांक 14.07.2016
14	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज ब्लाक- जानसठ के ग्राम मेहालकी	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1964/52-1-2016-1(128)/13टी0सी0, दिनांक 14.07.2016
15	मुजफ्फरनगर	रा0 इण्टर कालेज ब्लाक-चरथावल के ग्राम मथुरा में	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1964/52-1-2016-1(128)/13टी0सी0, दिनांक 14.07.2016
16	हापुड	वि0ख0-गढमुक्तेश्वर के ग्राम शेरपुर में रा0 इण्टर कालेज	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-3052/52-1-2016-1(127)/13, दिनांक 30.12.2016
17	बुलन्दशहर	ब्लाक-बुलन्दशहर के ग्राम खेतलपुर भैसरौली में रा0 इण्टर कालेज	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-4061/52-1-2016-1(121)/13, दिनांक 30.12.2016

http://shasanadesh.up.gov.in

18	मुरादाबाद	ब्लाक-छजलैट के ग्राम सामपुर में रा0 इण्टर कालेज	12वीं	59वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-1813/52-1-2016-12(एम0एस0डी0पी0)/13, दिनांक 22.06.2016
19	मुरादाबाद	ब्लाक-बिलारी के थावला में रा0 इण्टर कालेज	12वीं	69वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2254/52-1-2016-1(120)/13, दिनांक 19.08.2016
20	बदायूं	रा0 बालिका इण्टर कालेज ब्लाक-देहगवां के नसीरपुर टप्पा मलसई ग्राम में	12वीं	70वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2808/52-1-2015-13(एम0एस0डी0पी0)/13, दिनांक 20.01.2016
21	रामपुर	ब्लाक-चमरौआ के ग्राम शैजनी नानकर जेलरोड रामपुर में रा0 इण्टर कालेज	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2103/52-1-2016-1(129)/13, दिनांक 10.08.2016
22	रामपुर	ब्लाक- सैदनगर के ग्राम काशीपुर में रा0 इण्टर कालेज का निर्माण	12वीं	75वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2706/52-1-2016-1(129)/13, दिनांक 15.11.2016
23	मेरठ	रा0 इण्टर कालेज के ललियाना में वि0ख0-परीक्षितगढ	12वीं	69वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2239/52-1-2016-1(135)/13, दिनांक 22.08.2016
24	मेरठ	रा0 इण्टर कालेज विकास खण्ड-खरखौंदा जसौरा	12वीं	69वीं इम्पावर्ड कमेटी	सं0-2239/52-1-2016-1(135)/13, दिनांक 22.08.2016

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -1/2019/बी0-1-170/दस/2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(15)(ख) में निर्धारित व्यवस्था निम्नवत् है:-

" यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते है, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।"

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) समेकित रूप से जारी की जा रही है।

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था- उपभोक्ता सहकारी संघ लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।**

(4)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(6)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(7)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(8)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपूर्तिकारी संस्था की होगी तथा आपूर्तिकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज/बालिका इण्टर कालेजों में फर्नीचर/उपकरण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

(9)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(11)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(13)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(14)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(15)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(16)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(17)- प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणपर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्यव्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

http://silasanidesh.up.gov.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-779/दस-2019, दिनांक 20.09.2019 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-1045(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को विषयांकित जनपदों में निर्मित 24 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, **उपभोक्ता सहकारी संघ लि0** को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित जनपदों में निर्मित 24 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://sfcsanadesh.up.gov.in